उच्चतम प्राथमिकता
नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न.नि. 50-242/2022 - 26

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक – 4.1.24

विषय : नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 : मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं। उक्त धारा का अवतरण निम्नवत् है :-

``471 – **मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी** – (1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायगा।

(2) उप-धारा-(1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता उपधारा-(1) या उपधारा-(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बाबत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।"

2. नगरपालिका उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु आयोग का पत्रांक 4256 दिनांक 15.12.2023 पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। जिसके अनुसार **मतदाता की तिथि 22.01.2024** निर्धारित है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र में

Sona Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

सवैतनिक अवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है, जिससे कि राज्य के संबंधित नगरपालिका के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अपना मत देने हेतु अवकाश प्रदान किया जा सके।

अनुरोध है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 471 में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किये जाने का प्रावधानों के तहत ***संलग्न नगरपालिकाओं की सूची के अनुसार सवेतन अवकाश घोषित करने से संबंधित आदेश शीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।***

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

04/01/24

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि. 50-242/2022 - 28 पटना, दिनांक - 4.1.24

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

04/01/24

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि. 50-242/2022 - 28 पटना, दिनांक - 4.1.24

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) ***पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया*** *को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।*

04/01/24

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि. 50-242/2022 - 28 पटना, दिनांक - 4.1.24

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, ***पटना, मगध (गया), सारण, तिरहुत (मुजफ्फरपुर), दरभंगा, कोशी (सहरसा) एवं पूर्णियाँ*** *को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।*

04/01/24

सचिव।

ज्ञापांक -न.नि. 50-242/2022 - 28 पटना, दिनांक - 4.1.24

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/01/24

सचिव।

(35

अत्यावश्यक

नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन, 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न0नि0 50-25/2023 - 4256

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
पटना, कैमूर, नालन्दा, गया, सारण, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं अररिया।

पटना, दिनांक - 15.12.2023

विषय : नगरपालिका उप-निर्वाचन 2023 : निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 4040 दिनांक 30.11.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरपालिका उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के निमित्त सभी आवश्यक तैयारी करने के संबंध में निदेश दिये गये थे। सभी रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने के निमित्त मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 05.12.2023 को हो चुका है। नगरपालिकाओं के निम्न रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् हैं :-

क्र.सं.	जिला का नाम	नगरपालिका का नाम	पद का नाम	वार्ड संख्या	रिक्ति का कारण
1.	पटना	नगर पंचायत, पालीगंज	वार्ड पार्षद	4	मृत्यु
			वार्ड पार्षद	18	पदच्युत
2.	कैमूर	नगर पंचायत, हाटा	वार्ड पार्षद	5	मृत्यु
3.	नालन्दा	नगर पंचायत, अस्थावाँ	वार्ड पार्षद	1	मृत्यु
		नगर पंचायत, हरनौत	वार्ड पार्षद	17	मृत्यु
4.	गया	नगर पंचायत, खिजरसराय	वार्ड पार्षद	11	मृत्यु
5.	सारण	नगर निगम, छपरा	मुख्य पार्षद	1-45	पदच्यूत
6.	वैशाली	नगर परिषद, महनार	वार्ड पार्षद	19	त्याग पत्र
7.	पूर्वी चम्पारण	नगर निगम, मोतिहारी	वार्ड पार्षद	36	मृत्यु
		नगर पंचायत, मेहसी	वार्ड पार्षद	15	मृत्यु
		नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	वार्ड पार्षद	1	मृत्यु
8.	पश्चिम चम्पारण	नगर परिषद, नरकटियागंज	वार्ड पार्षद	12	मृत्यु
9.	सीतामढ़ी	नगर निगम, सीतामढ़ी	वार्ड पार्षद	38	निर्वाचन रद्द
10.	दरभंगा	नगर ~~परिषद~~ पंचायत, घनश्यामपुर	वार्ड पार्षद	8	प्रत्यादिष्ट

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

15.12.23

11.	मधेपुरा	नगर पंचायत, आलमनगर	वार्ड पार्षद	1	मृत्यु
		नगर परिषद, उदाकिशुनगंज	वार्ड पार्षद	26	मृत्यु
12.	अररिया	नगर परिषद, फारबिसगंज	वार्ड पार्षद	8	मृत्यु

उपरोक्त नगरपालिका आम निर्वाचन के क्रम में मतदान पूर्व अभ्यर्थियों के मृत्यु के फलस्वरूप प्रत्यादिष्ट हुये निर्वाचन तथा निर्वाचन उपरान्त त्यागपत्र, मृत्यु, पदच्युति, न्यायिक आदेश अथवा अन्य कारण आदि के फलवस्वरूप रिक्त हुये पद पर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की **धारा 441** के परन्तुक से प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया है।

3. उक्त सभी पदों का निर्वाचन के प्रक्रम निम्नवत् है :-

(क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन की तिथि	–	21.12.2023
(ख) नामांकन प्राप्त करने की तिथि	–	21.12.2023 से 29.12.2023 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)
(ग) संवीक्षा की तिथि	–	30.12.2023 से 01.01.2024 तक
(घ) अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि	–	02.01.2024 से 04.01.2024 तक (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)
(ङ) अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन	–	05.01.2024
(च) मतदान की तिथि	–	**22.01.2024**
(छ) मतदान का समय	–	7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक।
(ज) मतगणना की तिथि	–	**24.01.2024** (प्रातः 8.00 बजे से)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की भाँति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना जिला मुख्यालय में सम्पन्न कराया जायेगा।

4. नगरपालिका उप निर्वाचन हेतु आदेश निर्गत की तिथि से **संबंधित वार्ड में** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित **आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गये हैं,** जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेंगे।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं उक्त दिशा-निर्देश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

[signature]

सचिव।

ज्ञापांक - न०नि० 50-25/2023 - 4256 पटना, दिनांक – 15.12.2023

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

[signature]

सचिव।

D:\pm5\NGR_Bye_E_23.pmd\9

(34)

ज्ञापांक - न0नि0 50-25/2023 - 4256 पटना, दिनांक – 15.12.2023

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त पटना, मगध (गया), सारण, तिरहुत (मुजफ्फरपुर) एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/23

सचिव।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-11/2023 - 4256 पटना, दिनांक – 15.12.2023

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/23

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-25/2023 - 4256 पटना, दिनांक – 15.12.2023

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/23

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-25/2023 - 4256 पटना, दिनांक – 15.12.2023

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/23

सचिव।